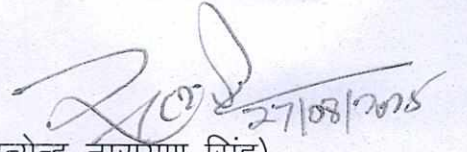


**बिहार सरकार**  
**खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**

**अधिसूचना**

श्री संजय कुमार सिन्हा, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, लखीसराय के द्वारा अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र स्वीकार करने हेतु दिये गए अभ्यावेदन के आलोक में दिनांक 31.08.2025 के अपराहन से त्यागपत्र स्वीकृत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

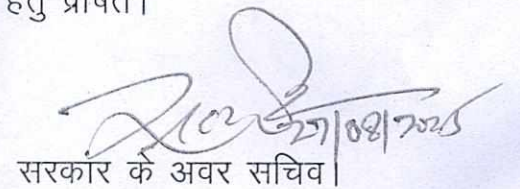
  
(सत्येन्द्र नारायण सिंह)

सरकार के अवर सचिव,  
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- खाद्य (निदे0) प्र0-I-08/2024 2119 खाद्य, पटना/दिनांक 27.08.2025  
प्रतिलिपि:-निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार, पटना/अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, लखीसराय, नालंदा एवं बेगूसराय/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/वरीय कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय, नालंदा एवं बेगूसराय/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-05 (बजट)/प्रधान सचिव एवं निदेशक कोषांग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- खाद्य (निदे0) प्र0-I-08/2024 2119 खाद्य, पटना/दिनांक 27.08.2025  
प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अवर सचिव।